भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1749

उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025
19 फाल्गुन, 1946 (शक)

टियर-2/3 शहरों में खेल अवसंरचना

1749. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टियर-2 और टियर-3 शहरों में खेल अवसंरचना में कमियों की पहचान करने के लिए कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत इनका समाधान किस प्रकार किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इनके क् या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन" घटक के अंतर्गत, यह मंत्रालय खेल उपकरणों के साथ-साथ खेल परिसर, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल आदि जैसी मूलभूत खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत, सरकार टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित देश भर में खेल सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है। देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ग) और (घ): 'खेल' राज्य का एक विषय होने के कारण, खेलों के संवर्धन हेतु धन के आवंटन सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित देश में खेलों के संवर्धन, खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित करता है:

(i) खेलो इंडिया- राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।

उपर्युक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय (https://yas.nic.in) और भारतीय खेल प्राधिकरण (https://sportsauthorityofindia.nic.in) की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

*****